न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—1/2022 (2022/31) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरूलाल पिता कालु बैरवा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—नारायण पिता पेमा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—हजारी पिता पेमा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—जमु पत्नि बेणा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—देवीलाल पिता बेणा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—पोखर पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—लालु पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—शंकर पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—सोहन पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
10—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—30.03.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के शामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 113 रकबा 0.29 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 158 पर दर्ज रेकार्ड है, जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के नाम दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात में संज, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर पैदल आदि सहित आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम मोखुन्दा से कोट जाने वाली मुख्य सड़क से होते हुए आगे विपक्षी संख्या 02 की आराजी संख्या 1272/22 की दक्षिणी पाली से होकर, आगे बिलानाम आराजी संख्या 111 की उ[illegible] में स्थित हैं। इसी से प्रार्थी व मेरा परिवारजन वर्षों से आवागमन कर रहे हैं। [illegible] विपक्षीगण ने रोक टोक नहीं की। किन्तु विपक्षीगण संख्या 01 व 02 ज[illegible] उनको [illegible]टन हुई, उक्त रास्ते में अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द करने पर आमदा [illegible] रहे है कि अब [illegible]हारा रास्ता यहां नहीं निकलने देंगे, क्योंकि भूमि हमारे नाम पर आवंटन हो गई हैं, और [illegible]रखातेदारी अधिकार की है। और उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हैं। इसलिये हम उक्त रास्ते को बन्द करेंगे तथा दिनांक 21.05.2021 को कोरोना महामारी में लगे हुए लॉकडाउन का फायदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested

उठाकर विपक्षीगण ने हम सलाह होकर प्रार्थी के लिये उपलब्ध एक मात्र रास्ते को अवरोध कर बन्द कर दिया। जब से प्रार्थी व मेरे परिवारजन मेरी उक्त आराजियात में आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। जिससे उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में किस्म बिलानाम रास्ता दर्ज करवाया जाकर रास्ते का खुलासा करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजियात में आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। एक मात्र यही रास्ता हैं, जिससे प्रार्थी आवागमन कर रहा था, किन्तु विपक्षीगण की नियत में फितुर आ जाने से उक्त रास्ते को बन्द कर दिया। जिससे प्रार्थी के लिये उक्त वर्णित रास्ता अत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। सुविधा जनक उपभोग के लिये नहीं हैं। जिससे उक्त वर्णित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया हैं। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम आसुणा में प्रार्थी की आराजी संख्या 113 में संज बैल बैलगाड़ी ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता जो विपक्षी संत्रया 2 की आराजी संख्या 1272/22 व विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 1273/22 दोनो आराजियात के मध्य व बिलानाम आराजी संख्या 111 की उत्तरी पाली पर करीब 20 फीट चौड़ाई में स्थित है को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे व विपक्षीगण को पांबद कराया जावे कि वे रास्ते को सदैव खुला रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 उपस्थित हुए जिन्होने कोई आपत्ति नही की व विपक्षी संख्या 3 लगायत 8 बावजुद सूचना के उपिस्थत नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 9, 10 फॉरमल पक्षकार है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि प्रार्थी ग्राम आसुणा की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 0.29 है0 में से 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है उपरोक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी के द्वारा रास्ते को रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज करने बाबत् मौका देखने से पाया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में वर्तमान में खसरा नम्बर 111 बिलानाम की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे होकर विपक्षी हजारी पिता पेमा बलाई की खातेदारी आराजी संख्या 1272/22 मे से होकर सड़क ग्राम मोखुन्दा से ग्राम खाखरमाला निकलता है। रास्ता मौके पर चालु है किसी प्रकार का आवागमन बाधित नही है। ग्राम आसुणा की बिलानाम आराजी संख्या 111 में 20 फीट चोड़ा रास्ता प्रार्थी द्वारा जिससे 400 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आती है। इसी तरह खातेदारी आराजी संख्या 1272/22 रकबा 0.30 है0 में से 150 [illegible] भूमि रास्ता उपयोग में आती है। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.0550 है0 भूमि [illegible] है। उक्त राशि बाबत् मौके पर किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक आपत्ति [illegible] अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार से प्रभावित नही है। प्रस्तावित भूमि की डीएलसी [illegible] 185700 रूपये प्रति हैक्ट. से बिलानाम आराजी संख्या 111 मे से 400 वर्गमीटर की राशि 7428 रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर 14856 रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested

मुआवजा राशि बनती है एवं विपक्षी की आराजी संख्या 1272/22 में से 150 वर्गमीटर की राशि 2786 रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर 5572 रूपये बनती है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है उसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आवागमन का एकमात्र यही रास्ता है। विपक्षी द्वारा कोई आपत्ति नही करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसुणा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 113 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1272/22 रकबा 0.30 है0 मे से रकबा 0.0150 है0, आराजी संख्या 111 में से रकबा 0.04 है0, कुल 0.0550 है0 यानि 550 वर्गमीटर भूमि बनती है जो रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 185700/–रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 10214/–रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 20428/–रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसमें से 14856/– रूपये बिलानाम भूमि के पेटे राजकोष में तथा 5572/–रूपये का विपक्षी खातेदार हजारी पिता पेमा बलाई जो कि विपक्षी संख्या 2 है को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

30.3.2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—1/2022 (2022/31) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरूलाल पिता कालु बैरवा निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—नारायण पिता पेमा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—हजारी पिता पेमा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—जमु पत्नि बेणा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—देवीलाल पिता बेणा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—पोखर पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—लालु पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—शंकर पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—सोहन पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
10—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आसुणा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 113 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 1272/22 रकबा 0.30 है0 मे से रकबा 0.0150 है0, आराजी संख्या 111 में से रकबा 0.04 है0, कुल 0.0550 है0 यानि 550 वर्गमीटर भूमि बनती है जो रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 185700/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 10214/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 20428/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसमें से 14856/— रूपये बिलानाम भूमि के पेटे राजकोष में तथा 5572/—रूपये का विपक्षी खातेदार हजारी पिता पेमा बलाई जो कि विपक्षी संख्या 2 है को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested

30/3/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा